संख्या-24/2019/396/12-5-2019-सा0-01/2019टी0सी0

प्रेषक,

डा0 प्रभात कुमार,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 28 मार्च, 2019**

विषय-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी०एम०-किसान) योजना के अन्तर्गत सहकारी बैंकों के पात्र लाभार्थी कृषकों के नामों का सत्यापन PFMS बैंक द्वारा न किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

भारत सरकर के पत्र संख्या-Z-11021-02/2019-IT, दिनांक 25.02.2019 द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान) योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में धनराशि अन्तरण की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए अवगत कराया गया है कि PFMS पोर्टल द्वारा DSSB's व सहकारी बैंक में खाताधारक लाभार्थियों के रिकार्ड का सत्यापन नहीं किया जा सकता। साथ ही आधार सीडेड बैंक खातों के लाभार्थियों के नामों का भी सत्यापन PFMS पोर्टल द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के रिकार्ड को संबंधित राज्यों से साझा भी नहीं किया जायेगा। (There are certain record where beneficiary name cannot be verified by PFMS bank like DSSBs and Co-operative bank. Also, beneficiary names are not available for Aadhaar seeded accounts. Such records will not be shared back with States.)

2- योजनान्तर्गत सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि खतौनी में उल्लिखित कृषकों के नाम व जोत, उनके बैंक खाता संख्या, बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड एवं कृषक के आधार संख्या का सही अंकन हों। सहकारी बैंक में कृषकों के बचत खाता की स्थिति में भी उनकों नामों का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न निर्देश निर्गत किये जाते है :-

1. जिन लाभार्थियों ने सर्वेक्षण के समय अपने बचत खाते के विवरण में सहकारी बैंक के बचत खाता का उल्लेख किया है, उन लाभार्थियों की सूची को जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा विभाग के पोर्टल से प्रिंट कर जनपद स्तर पर कार्यरत सहायक निबन्धक, सहकारिता को उपलब्ध करा दिया जाए। उसके उपरान्त सहायक निबन्धक, सहकारिता द्वारा प्राप्त की गयी मूल सूची को सत्यापनोपरान्त अगले दिन अपने हस्ताक्षर से उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। उप कृषि निदेशक तद्नुसार कृषकों की सत्यापित सूची के अनुसार यथावश्यक संशोधन करते हुए मुख्यालय को अपने Digital Signature अंकित करते हुए उपलब्ध करायेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, ताकि सहकारी बैंकों से संबंधित पात्र कृषक भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

भवदीय,
डा0 प्रभात कुमार
कृषि उत्पादन आयुक्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2019/396(1)/12-5-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश अपने स्तर से भी जारी करने का कष्ट करें।
2- आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, 14-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
3- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, सूचना, उ0प्र0 शासन।
6- अपर मुख्य सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन।
7- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
8- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
11- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
12- कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
13- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, लखनऊ।
14- समस्त उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।